

डिक्री एवं मुकदमे ईबतदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 418/2025

- 1 गुरप्रीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडां तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2 मनप्रीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडां तहसील व जिला हनुमानगढ

- वादीगण

बनाम

- 1 शमशेर सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडां तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2 रुपिन्द्र कौर पुत्री शमशेर सिंह पत्नी उधम सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रति स. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 20 एम.के.एस. खाता स. 74/82 खाता गुरप्रीत सिंह वगैरा ज.स. 2072-75 व चक 20 एम.के.एस. खाता स. 76/61 खाता गुरप्रीत सिंह वगैरा ज.स. 2072-75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब.के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार इसका राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अंकन किया जाकर प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। व वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम किया जावे। दावा की दफा 5 निम्नप्रकार से है:-

वादी स 1 गुरप्रीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह का कब्जा:-

चक 20 एम.के.एस.

148/237 19 6/.253 14/.063 15/.063

149/237 18 6/1/.240 7-8-9-10/.253प्र

कुल रकबा = 1.631 है०

वादी स. 2 मनप्रीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह का कब्जा:-

चक 20 एम.के.एस

148/237 19 14/.190 15/.190

149/2367 18 11-12-13-14/.253प्र 15/1/.240

कुल रकबा = 1.632 है०

नोट:- यदि प्रश्नगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

बसंत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-2025 को
जारी किया गया।



HS

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
महियत कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरूर जिला
संगरूर